



2026:AHC: 164994-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 261/1989

किशन और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : रौनक चतुर्वेदी, ए.के. सचान, आकाश चंद्र मौर्य,
मंगल राय, सत्याश चंद्रा मौर्य, सत्येन्द्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : डीजीए

न्यायालय संख्या- 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. यह आपराधिक अपील, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा सत्र विचारण संख्या 50 वर्ष 1987, जो धारा 147, 148, 149, 323 एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से उत्पन्न हुआ है, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर देहात में पारित निर्णय दिनांक 21.1.1989 तथा दण्डादेश दिनांक 27.1.1989 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी किशन को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया; धारा 323 सहपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत छह माह के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया; धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया; तथा धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत छह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



माह के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्तगण, अर्थात् श्री राम, मेवा लाल, शिव लाल, राम कुमार, देवी दयाल तथा हुकुम को धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत छह माह के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया; धारा 323 सहपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत छह माह के कठोर कारावास का दण्डादेश दिया गया; तथा धारा 302 सहपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया।

2. जब दिनांक 24.8.1986 को रात्रि 10:00 बजे ग्राम धौकलपुर, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर देहात में घटना घटित हुई, तो अगले दिन, अर्थात् दिनांक 25.8.1986 को प्रातः 3:10 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना इस तथ्य के कारण घटित हुई कि घटना की तिथि से कुछ दिन पूर्व मृतक लल्ली ने चक रोड के सम्बन्ध में किसी विवाद के कारण अपने बड़े भाई देवी दयाल की पिटाई कर दी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथानक यह था कि देवी दयाल के पुत्र शिव लाल, मेवा लाल तथा राम कुमार; फोसे (देवी दयाल एवं लल्ली के चाचा) के पुत्र हुकुम तथा मोहन लाल; मोहन लाल के पुत्र किशन तथा कन्हई; एवं हुकुम का पुत्र श्री राम दिनांक 24.8.1986 को लल्ली के घर आए थे तथा वे सामान्य ग्रामीण आयुधों से सुसज्जित थे। किशन के पास फरसा था जबकि अन्य लाठी एवं डण्डे लिए हुए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अभिकथन है कि वे लल्ली द्वारा देवी दयाल के साथ पूर्व में किए गए कृत्य का बदला लेने हेतु लल्ली के घर आए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट का आगे का कथानक यह था कि लल्ली, जो पहले ही सोने हेतु बाहर जा चुका था, घर से बाहर आया तथा उसने अपने भतीजों आदि से गाली-गलौज न करने को कहा। इस पर फरसा लिए हुए किशन ने लल्ली पर प्रहार किया, जिसके कारण मृत्यु हो गई। आगे का कथानक यह था कि अन्य व्यक्ति भी, अर्थात् पी.डब्ल्यू. :-

1 छुन्ना लाल पुत्र लल्ली, एक अन्य सम्बन्धी शिव बालक, लल्ली का अन्य पुत्र राम सिंह तथा छुन्ना लाल की पत्नी श्रीमती रामवती घायल हो गए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 304, 323, 147, 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी। तथापि, विवेचना के पश्चात् जब पुलिस आख्या प्रस्तुत की गई, तो दिनांक 27.3.1987 को आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त किशन के विरुद्ध धारा 302, 148 एवं 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण, अर्थात् मेवा लाल, कन्हई, हुकुम, श्री राम, शिव लाल, राम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कुमार एवं देवी दयाल के विरुद्ध धारा 147, 323/149 एवं 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। जब अभियुक्तों ने आरोपों से इन्कार किया, तब विचारण प्रारम्भ हुआ तथा अभियोजन की ओर से आठ साक्षियों का परीक्षण कराया गया।

3. अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 2 शिव लाल, अपीलार्थी संख्या 4 मेवालाल, अपीलार्थी संख्या 6 देवी दयाल तथा अपीलार्थी संख्या 7 हुकुम की मृत्यु हो गई। विचारण के पश्चात् किशन को धारा 302, 323/149, 148 एवं 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाया गया तथा अन्य अभियुक्तगण, अर्थात् शिव लाल, राम कुमार, मेवालाल, श्री राम, देवी दयाल तथा हुकुम को धारा 147, 323/149 एवं 302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाया गया। अभियुक्त कन्धई तथा मोहनलाल को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना इस तथ्य के कारण घटित हुई कि समस्त अभियुक्तगण लल्ली के पूर्ववर्ती आचरण से क्षुब्ध थे, जिसने पूर्व में देवी दयाल की पिटाई की थी, तथा इसलिए पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के बावजूद समस्त अभियुक्तगण लल्ली के घर गए थे तथा सम्भवतः यह केवल किसी प्रकार की बातचीत में सम्मिलित होने हेतु था तथा यह प्रयास किया जा सकता था कि लल्ली क्षमा-याचना कर ले। तथापि, जब लल्ली घर से बाहर आया तथा उसने उन्हें गाली-गलौज न करने की डाँट लगाई, तब क्षणिक आवेश में फरसे से सुसज्जित किशन ने लल्ली पर आक्रमण किया, जिसके कारण चोट लगी तथा तत्पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पी.डब्ल्यू-1 के बयान पर अवलम्ब लेते हुए कथन किया कि पी.डब्ल्यू-1 ने स्वयं कथन किया था कि अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आई थीं तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह एक स्वाभाविक घटनाक्रम था। अन्य व्यक्ति, अर्थात् पी.डब्ल्यू-1, पी.डब्ल्यू-2, छुन्नालाल एवं रामवती तथा शिव बालक एवं राम सिंह यह देखने हेतु अपने घर से बाहर आए थे कि वास्तव में क्या हो रहा है। उन्होंने आगे कथन किया कि अभियुक्त पक्ष की ओर से भी चोट आई थी तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने कथन किया कि अभियुक्त पक्ष ने पहले ही सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा लिया था।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि घायल चक्षुदर्शी साक्षी छुन्नालाल, जो न्यायालय में पी.डब्ल्यू-1 के रूप में उपस्थित हुआ था, ने कथन किया था कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसने वास्तविक झगड़ा देखा था, जो एक शिव बालक नामक व्यक्ति के घर के निकट हुआ था। उन्होंने न्यायालय के समक्ष आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपने इस तर्क को पुष्ट करने हेतु कि झगड़ा क्षणिक आवेश में हुआ था तथा किसी ने वास्तव में घटना नहीं देखी थी, उन्होंने पी.डब्ल्यू-2 के बयान पर अवलम्ब लिया, जिसने कथन किया था कि घटना श्रीमती रामवती, जो छुन्ना लाल की पत्नी थी, के घर पर घटित हुई थी तथा छुन्ना लाल ने स्वयं कथन किया था कि यद्यपि वह उसी घर में रह रहा था जिसमें लल्ली तथा उसके पिता रह रहे थे, किन्तु उसके घर का द्वार पूर्व दिशा में खुलता था, जबकि मृतक के घर का द्वार पश्चिम दिशा में खुलता था। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने, इस प्रकार, तर्क प्रस्तुत किया कि जब पी.डब्ल्यू.-1 छुन्ना लाल यह कह रहा था कि घटना शिव बालक के घर के निकट घटित हुई थी तथा पी.डब्ल्यू-2 यह कथन कर रही थी कि घटना उसके घर के निकट घटित हुई थी, तब यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वस्तुतः यह किसी विशेष स्थान पर योजनाबद्ध आक्रमण नहीं था, बल्कि अभियुक्तगण सम्भवतः लल्ली तथा देवी दयाल के मध्य पूर्व में हुए झगड़े के सम्बन्ध में विषय सुलझाने हेतु गए थे तथा वे सर्वत्र घूम रहे थे तथा किसी को यह निश्चित नहीं था कि झगड़ा कब तथा कहाँ ठीक-ठीक हुआ। वस्तुतः, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-1 ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से कथन किया था कि सम्पूर्ण घटना कुछ मिनटों की अवधि के भीतर घटित हो गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार तर्क प्रस्तुत किया कि यह हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध था तथा अपीलार्थीगण को न्यूनतर अपराध हेतु दण्डित किया जाना चाहिए।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित सिन्हा ने अपील का विरोध किया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि घटना वस्तुतः घटित हुई थी। घायल चक्षुदर्शी साक्षी, अर्थात् पी.डब्ल्यू-1 तथा पी.डब्ल्यू-2, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे तथा उन्होंने कथन किया था कि घटना तब घटित हुई जब अभियुक्तगण योजनाबद्ध रीति से आए थे तथा उन्होंने पी.डब्ल्यू-1 के पिता, अर्थात् लल्ली पर आक्रमण किया था। अतः वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मृतक की हत्या करने की न केवल योजना थी, बल्कि उसकी हत्या करने का आशय भी था तथा क्षणिक आवेश में कुछ भी नहीं हुआ था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रौनक चतुर्वेदी तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित सिन्हा को सुनने के पश्चात्, हम निश्चित रूप से इस मत के हैं कि दिनांक 24.8.1986 से कुछ दिन पूर्व कोई घटना घटित हुई थी जिसमें मृतक लल्ली ने उनके घर के पास से गुजरने वाले किसी चक रोड के कारण देवी दयाल की पिटाई कर दी थी तथा जब बाद में देवी दयाल के बच्चों तथा दूसरे भाई, अर्थात् हुकुम एवं मोहनलाल के बच्चों को लल्ली द्वारा की गई पिटाई के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने, जो युवा व्यक्ति थे, लल्ली को सबक सिखाना चाहा तथा इसलिए वे रात्रि 10:00 बजे लल्ली के घर गए। विषय का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि वे सब साथ बैठकर चक रोड आदि के सम्बन्ध में कोई निश्चित समाधान निकालने हेतु लल्ली के घर गए थे। तथापि, जब लल्ली घर से बाहर आया तथा उसने अभियुक्तों से गाली-गलौज न करने को कहा, तब लल्ली के घर के बाहर एकत्र हुए युवा व्यक्ति क्रोधित हो गए तथा क्षणिक आवेश में उन्होंने लल्ली की पिटाई करनी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रक्रिया में छुन्ना लाल, शिव बालक, राम सिंह तथा रामवती को चोटें आईं तथा वे भी घायल हो गए। यद्यपि चोटें बहुत मामूली थीं, फिर भी हम पाते हैं कि उन्हें चोटें आई थीं तथा वे सम्भवतः इस तथ्य के कारण थीं कि उन्होंने लल्ली को अभियुक्तगण के आक्रमण से बचाने का प्रयास किया था, जो इस तथ्य के कारण अत्यधिक क्रोधित थे कि लल्ली ने अभियुक्तों से गाली-गलौज न करने को कहा था। हम इस प्रकार निश्चित रूप से इस मत के हैं कि यह एक पारिवारिक मामला था तथा अभियुक्तगण निश्चित रूप से लल्ली की हत्या करने के आशय से नहीं आए थे। सम्पूर्ण घटना इस तथ्य के कारण घटित हुई कि लल्ली ने अभियुक्तों से गाली-गलौज न करने को कहा था। हम इस प्रकार निश्चित रूप से इस मत के हैं कि यद्यपि घटना घटित हुई, तथापि यह इस तथ्य के कारण घटित नहीं हुई कि अभियुक्तगण की ओर से लल्ली की हत्या करने का कोई आशय था। अतः हमारा मत है कि आक्रमण अधिक से अधिक इस ज्ञान के साथ कारित किया गया था कि इसके परिणामस्वरूप मृतक लल्ली की मृत्यु हो सकती है, किन्तु उसकी हत्या करने का कोई आशय नहीं था तथा इस प्रकार यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अन्तर्गत आएगा। अतः अपराध को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस प्रकार हमारा मत है कि जो अपीलार्थी जीवित हैं, अर्थात् अपीलार्थी संख्या 1 किशन, अपीलार्थी संख्या 3 राम कुमार तथा अपीलार्थी संख्या 5 श्री राम, को धारा 304-द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जाए। दण्डादेश को इस सीमा तक उपांतरित किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाता है कि अपीलार्थीगण को उस दण्ड से दण्डित किया जाए जो वे पहले ही भुगत चुके हैं तथा उन्हें आगे 20,000/- रुपये प्रत्येक का अर्थदण्ड दिया जाए। यह धनराशि सूचनाकर्ता को, यदि वह जीवित है, अथवा यदि वह अब जीवित नहीं है तो उसके उत्तराधिकारियों को, दी जाएगी। अतः धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थीगण को धारा 304-द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्धि किया जाता है। दण्डादेश एतद्वारा धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डादेश से धारा 304-द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डादेश में उपांतरित किया जाता है।

8. हमने दण्डादेश को इस तथ्य के कारण संशोधित किया है कि अपील वर्ष 1989 की है तथा घटना दिनांक 24.8.1986 को घटित हुई थी। जो अपीलार्थी अब जीवित हैं, वे स्वयं वृद्ध व्यक्ति होंगे तथा उन्हें पुनः कारागार भेजना एक निरर्थक प्रयास होगा। इसका समाज पर निवारक प्रभाव भी पड़ेगा।

9. अतः, हमारे द्वारा बताए गए समस्त कारणों से, अपील अंशतः स्वीकार की जाती है। जो अपीलार्थी अब जीवित हैं, उन्हें धारा 304-द्वितीय भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्धि किया जाता है तथा वे उस दण्ड को भुगतेंगे जिस प्रकार हमने उसे उपांतरित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि आज की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर जमा की जाए।

6 अगस्त, 2026

पी.के

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”